कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रांर/पंविप/5वीं–8वीं/दिशा–निर्देश/2023 दिनांकः– 09-01-2024

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर	वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.) NIC, शिक्षा संकुल जयपुर।	निदेशक आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाईट), समस्त	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अधिकारी समस्त।

विषय :–प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (कक्षा 8), 2024 हेतु दिशा–निर्देशों के क्रम में।
प्रसंग :– शासन का पत्र क्रमांक प.17.(30)प्राशि/2017–03839 जयपुर, दिनांक 28.12.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन से प्राप्त प्रासंगिक अनुमोदित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (कक्षा–8) परीक्षा, 2024 के सुव्यवस्थित एवं सुचारू संचालन के क्रम में सामान्य दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

उक्त परीक्षा का आयोजन इन्हीं दिशा–निर्देशों के अनुसार संपन्न किया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नः–उपर्युक्तानुसार (दिशा–निर्देश)

(सीताराम जाट)
I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रांर/पंविप/5वीं–8वीं/दिशा–निर्देश/2023 दिनांकः– 09-01-2024
प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त तथा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उपसचिव, (आयोजना), प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि./प्रा.शि. समस्त।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
8. प्रभारी, सिस्टम एनालिस्ट कंप्यूटर अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. अनुभाग अधिकारी, शैक्षिक/बजट/शाला दर्पण/पी.एस.पी./एस.आई.क्यू.ई. कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ
राजस्थान, बीकानेर

RajKaj Ref
5279679

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.01.09 18:47:23 IST
Reason: Approved

WWW.RAJGURUJI.COM

प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा–8) 2024 हेतु प्रस्तावित दिशा–निर्देश

सत्र 2015–16 से कक्षा 8 की परीक्षा हेतु वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के तर्ज पर 'प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा–8) आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। यह परीक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' की धारा 30 (2) के तहत विद्यार्थियों को दिये जाने वाले प्रारंम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र के लिये आधार मूल्यांकन प्रणाली रही है। दिनांक 29.09.2015 को शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में उक्त परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक. प.17(30)/2017 दिनांक 15.11.2019 के द्वारा कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। वर्ष 2024 से आयोज्य परीक्षा हेतु नये सिरे से विभिन्न विभागों/संगठनों/कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्व/कार्य हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्वः–

i. परीक्षा आयोजन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा प्रबोधन के क्षेत्र में नेतृत्व करना।
ii. कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) के लिए गठित प्रकोष्ठ हेतु भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना ताकि परीक्षा संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन को प्रभावी बनाया जा सके।
iii. परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि जारी करना।
iv. आवश्यकतानुसार पारम्परिक मदों हेतु कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर समस्त डाइट से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट प्रावधान कराना एवं राशि आवण्टन करना।
v. परीक्षा को लेकर बजटरी प्रावधानों की सम्भावित विसंगतियों को दूर करना तथा लेखा अधिकारियों को आवश्यकतानुसार नोडल एजेन्सी का सहयोग करने के लिए निर्देशित करना।
vi. नोडल एजेन्सी के प्रस्ताव पर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिये क्षेत्र से शिक्षकों/कार्मिकों की ड्यूटी इत्यादि के लिए निर्णय लेना अथवा अनुमोदन करना।

2. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT), उदयपुर के कार्य एवं दायित्वः–

i. परीक्षा हेतु सभी विषयों के दक्षता आधारित मॉडल पेपर (द्विभाषी–हिन्दी व अंग्रेजी में भाषायी विषयों के अतिरिक्त) तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड करना तथा विभिन्न विभागीय सोशल मीडिया ग्रुप पर प्रचारित करना।
ii. परीक्षा हेतु दक्षता आधारित (Competency Based) प्रश्न–पत्र बुकलेट निर्माण के लिए ब्लू प्रिन्ट तैयार करना, प्रश्न पत्र निर्माण–कर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों के पैनल्स तैयार करना तथा समस्त प्रकार के अकादमिक कार्यों में नोडल एजेन्सी को सहयोग प्रदान करना।
iii. मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा एवं आरक्षित हेतु सभी विषयों के तीन सेट दक्षता आधारित प्रश्न–पत्र बुकलेट द्विभाषी–हिन्दी व अंग्रेजी में (भाषायी विषयों के अतिरिक्त) का निर्माण करना।
iv. आवश्यकतानुसार वर्तमान सत्र में चल रही कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तकों के सेट (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) नोडल एजेन्सी अथवा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालय /संस्था /संगठन को उपलब्ध करवाना।
v. बैठकों, कार्यशालाओं, वी.सी. एवं पी.पी.टी. तैयार करने इत्यादि के लिए नोडल एजेन्सी को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।
vi. नोडल एजेन्सी की मांग पर परीक्षा सम्बन्धी चाहे गये समस्त अकादमिक कार्यों में सहयोग देना।

RajKaj Ref
5279679

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.01.09 18:47:23 IST
Reason: Approved

WWW.RAJGURUJI.COM

3. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के कार्य एवं दायित्वः–

i. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर डाइस डेटा के आधार पर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में कक्षा 8 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की समस्त सूचना को शाला दर्पण पोर्टल/पी.एस.पी. पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पूर्व शत प्रतिशत प्रविष्टि/संशोधन करवाना एवं प्रतिदिन लाइव अपडेशन करवाना।

ii. कक्षा 8 में सी.सी.ई. संचालित सभी विद्यालयों को ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पूर्व तक शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित करवाना। निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर एवं RSCERT, उदयपुर के लॉगिन पर उक्त विद्यालयों की सूची उपलब्ध करवाना।

iii. कक्षा 8 में सी.सी.ई. संचालित विद्यालयों में SA-3 के स्थान पर आयोजित होने वाली प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश आवश्यकतानुसार RSCERT उदयपुर, एवं एस. आई. क्यू. ई. अनुभाग, निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा के साथ मिलकर तैयार करना।

iv. SA-1, SA-2, के अंको को समेकित करने का तैयार Formula कक्षा 8 में सी.सी.ई. संचालित सभी विद्यालयों एवं शिक्षण–प्रशिक्षणों तक पहुंच सुनिश्चित करना।

v. विद्यालयों/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु). प्राशि/मा.शि. /डाइट/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हेतु प्रसारित किये जाने वाले आदेश/सामग्री इत्यादि अधिकृत वेबपोर्टल (w.w.w.education.rajasthan.gov.in) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कराना।

4. NIC शिक्षा संकुल, जयपुर के कार्य एवं दायित्व :–

i. परीक्षा की नोडल एजेन्सी (पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर) को तकनीकी सपोर्ट करना, परीक्षा की समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं को तथा यथा आवश्यकता नोडल एजेन्सी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों को शाला दर्पण/पी.एस.पी. पोर्टल पर नियन्त्रित एवं क्रियान्वित करना।

ii. परीक्षार्थियों के शाला दर्पण/पी. एस.पी पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाना।

iii. मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्रों को संशोधन करने/निरस्त कर नये आवेदन करने की सुविधा सी.बी.ई.ओ. लॉगिन पर करना।

iv. मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदनों की समेकित सूची छात्र और छात्रा वार तैयार करने हेतु तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध करना।

v. परीक्षा केन्द्रों की मैपिंग का मॉडयूल सी.बी.ई.ओ. लॉगिन पर प्रारंभ करवाना।

vi. संग्रहण केन्द्रों की मैपिंग का मॉडयूल सी.बी.ई.ओ. लॉगिन पर प्रारंभ करवाना।

vii. परीक्षा केन्द्र आवंटन करना एवं तदनुसार रोल लिस्ट परीक्षा केन्द्र/विद्यालय पर जारी करवाना।

viii. प्रवेश पत्र (रोल नम्बर) विद्यालय लॉगिन पर जारी करना।

ix. आंतरिक मूल्यांकन प्रविष्टि (सत्रांक मॉडयूल) की सुविधा विद्यालय लॉगिन पर प्रदान करना।

x. परीक्षा संबंधी समस्त प्रपत्र परीक्षा केन्द्रों के लॉगिन पर उपलब्ध करवाना

xi. परीक्षकों की मैपिंग का मॉडयूल सीबीईओ लॉगिन पर प्रारंभ करवाना।

xii. संग्रहण / मूल्यांकन केन्द्र लॉगिन पर प्राप्तांक प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करना।

xiii. विभागीय नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी करवाना तथा इंटरनेट अंक तालिका जारी करना।

xiv. टी. आर. (टेबुलेशन रजिस्टर) विद्यालय वार उपलब्ध करवाना।

xv. डाइट लॉगिन पर प्रमाण पत्र सह ग्रेड तालिका प्रदर्शित करना ।

xvi. निदेशालय, आरएससीईआरटी उदयपुर व पंजीयक स्तर से समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना करना।

xvii. मुख्य परीक्षा आवेदन से पूर्व RTE विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को पोर्टल पर अद्यतन करना।

xviii. पूरक परीक्षा/पुनर्गणना के आवेदन ऑनलाईन करवाना।

RajKaj Ref
5279679

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.01.09 18:47:23 IST
Reason: Approved

WWW.RAJGURUJI.COM

5. कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्वः–

i. समस्त छः विषयों अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा (संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती) के प्रश्न पत्र बुकलेट, पूरक परीक्षा प्रश्न पत्र बुकलेट एवं वैकल्पिक प्रश्न पत्र बुकलेट का राज्य स्तर पर मुद्रण करवा कर समस्त डाइट को वितरित करवाना।

ii. विश्वसनीयता एवं गोपनीयता बनाये रखते हुए परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन, सफल आयोजन तथा प्रश्न पत्र बुकलेट की सुरक्षा के लिये अधीनस्थ कार्यालयों एवं परीक्षा केन्द्रों को निर्देश जारी कराना।

iii. यथा संभव अभिनव तकनीक के ऑनलाइन माध्यम (शाला दर्पण) से विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करना केन्द्रों का निर्धारण, मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करवाना, परीक्षा नामांक जारी करवाना, वीक्षकों/परीक्षकों/मूल्यांकन कर्ताओं का निर्धारण/आवंटन करवाना, सत्रांक प्रविष्ट करवाना, मूल्यांकन करवाना, मूल्यांकन केन्द्र लोगिन द्वारा प्राप्तांक प्रविष्ठ करवाना, परीक्षा परिणाम तैयार करवाना, परीक्षा परिणाम की घोषणा करवाना, टीआर (टेबुलेशन रजिस्टर) तैयार करवाना, प्रमाण पत्र जारी करना, पुर्नगणना के आवेदन लेना, पुर्नगणना करवाकर परिवर्तन की स्थिति में संशोधित प्रमाण पत्र जारी करवाना, परीक्षा से सम्बंधित अन्य प्रपत्र तैयार करवाना एवं परीक्षा के सफल संचालन हेतु अन्य कार्य करवाना।

iv. सम्बंधित आदेश निर्देश विभाग की अधिकृत वेबसाइट (education.rajasthan.gov.in) एवं शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना इस हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों को निर्देश जारी करना।

v. परीक्षा संचालन हेतु पंचांग का निर्माण एवं परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर उक्तानुसार कार्यवाही का संचालन करना।

vi. परीक्षा आयोजन के लिये पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर द्वारा बतौर नोडल एजेन्सी यथा आवश्यकता समिति निर्माण, नियन्त्रण कक्ष स्थापना एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने सहित अन्य सामान्य प्रशासनिक निर्णय लिये जा सकेंगे।

vii. परीक्षा के दौरान दो राज्य स्तरीय उड़न दस्तों का गठन कर, परीक्षा का समुचित निरीक्षण. परिवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक निरीक्षण कर परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करना ।

viii. परीक्षा कार्य हेतु मेन विद मशीन के लिए डाइट को बजट उपलब्ध करवाना। (अधिकतम तीन माह हेतु)

6. शिक्षा विभाग के संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व :–

i. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने संभाग के समस्त जिलों में परीक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे, अपने यहाँ नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर प्रतिदिन परीक्षा संबंधित सूचनाऐं राज्य नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करवायेंगे।

ii. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बतौर जिला पर्यवेक्षक अपने स्तर पर परीक्षा का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं प्रबोधन करेंगे। जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य डाइट) की मांग पर परीक्षा हेतु समुचित सहयोग के लिए आदेश/निर्देश जारी करेंगे।

iii. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.). माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा जिला नोडल अधिकारी से तालमेल स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं में समुचित सहयोग करेंगे। प्रधानाचार्य डाइट की मांग पर वीक्षण, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए यथा आवश्यकता आदेश जारी करेंगे।

7. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के कार्य एवं दायित्वः–

i. प्रधानाचार्य डाइट बतौर जिला नोडल अधिकारी परीक्षा के आयोजन संचालन, नियंत्रण, निरीक्षण, प्रबोधन, मूल्यांकन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पाबन्द एवं जवाबदेह होगें। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रभारी अधिकारी, गठित समिति सदस्य एवं प्रधानाचार्य द्वारा पाबन्द और अधिकृत समस्त फैकल्टी सदस्य, गैर शैक्षणिक अधिकारी एवं अन्य कार्मिक भी उनको सौंपे गये अपने कार्यों के लिए व्यक्तिशः [illegible] के लिए सामूहिक रूप से पूर्णतया जवाबदेह होंगे। **<u>इसके अतिरिक्त प्राचार्य डाइट [illegible] 17 जिलों में परीक्षा संचालन संबंधी उन्हें सौंपें गये दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे।</u>**

RajKaj Ref 5279679
Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2024.01.09 18:47:23 IST
Reason: Approved

WWW.RAJGURUJI.COM

ii. राज्य नोडल एजेन्सी (पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना ।

iii. प्रश्न पत्र बुकलेट के सीलबन्द लिफाफों एवं अन्य आवश्यक परीक्षा सम्बन्धी सामग्री का विश्वसनीयता एवं गोपनीयता रखते हुए संग्रहण, संकलन एवं वितरण कराना।

iv. परीक्षा के दौरान चार उड़न दस्तों का गठन कर, परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परिवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक निरीक्षण कर परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करना ।

v. परीक्षा उपरान्त मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/मैपिंग की मॉनीटरिंग करना एवं त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इन समस्त कार्यों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना।

vi. जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठकों का आयोजन निर्धारित तिथियों में करना।

vii. जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन से संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण/ मैपिंग करवाना।

viii. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार पैनल के अनुसार परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कराना।

ix. परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न सम्पन्न करवाने एवं समुचित प्रबोधन हेतु डाइट स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।

x. परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ग्रेड तालिका सह प्रमाण–पत्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयों को वितरित कराना।

xi. परीक्षा परिणाम जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में पुनर्गणना से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य ऑनलाइन सम्पादित करना।

xii. जारी ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र के खो जाने/गुम हो जाने, क्षति ग्रस्त होने/कट–फट जाने /नष्ट हो जाने एवं त्रुटिपूर्ण स्थिति में परीक्षार्थी एवं संस्था प्रधान के लिखित आग्रह पर कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा/प्राशि/पंविप/5–8/विविध/2022 दिनांक : 29/03/2023 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति सशुल्क (100रू) जारी करना।

xiii. समय–समय पर नोडल एजेन्सी द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।

8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :–

i. ब्लॉक नोडल अधिकारी परीक्षा संचालन निरीक्षण, नियंत्रण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पाबंद एवं जवाबदेह होंगे।

ii. परीक्षा के राज्य स्तरीय अधिकरणो एवं जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य, डाइट) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।

iii. ब्लॉक स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन एवं बैठक आयोजित करना।

iv. संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को पोर्टल पर मैपिंग/निर्धारण कर सूचना डाइट को प्रेषित करना।

v. संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों पर मांग के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध करवाना (केवल परीक्षा कार्य हेतु)

vi. प्राप्त प्रश्न पत्र बुकलेट एवं अन्य परीक्षा सम्बन्धी सामग्री को संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को वितरित करवाना एवं परीक्षा केन्द्राधीक्षकों द्वारा समीपस्थ पुलिस थाने/चौकी पर सुरक्षित रखवाना।

vii. मूल्यांकन कार्य के दौरान निर्देशानुसार सैंपल चेकिंग कार्य सम्पादित करना। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक केन्द्र से प्रत्येक विषय की पाँच–पाँच प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन का मौके पर ही आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए मूल्यांकन कार्य का सत्यापन करना। प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्र पर एक–एक विषय विशेषज्ञ राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करके सैंपल चेकिंग करवाना।

RajKaj Ref
5279679

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.01.09 18:47:23 IST
Reason: Approved

WWW.RAJGURUJI.COM

viii. पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ./ केन्द्राधीक्षक जो कि अपने परिक्षेत्र के समस्त परीक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्रभारी होगा, के माध्यम से समस्त परीक्षा केन्द्रों का सतत् पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना।

ix. परीक्षा केन्द्रों से समस्त सूचनाओं के आदान–प्रदान का उत्तरदायित्व का निर्वहन संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ./ केन्द्राधीक्षक के माध्यम से करना।

x. अपने परिक्षेत्र में परीक्षा केन्द्रों की प्रश्न पत्र बुकलेट को पुलिस थाने से लाने एवं सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों को वितरित करने की समस्त प्रक्रिया सम्बन्धित पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ./ केन्द्राधीक्षक के माध्यम से सुनिश्चित करना।

xi. ब्लॉक स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा–8) सेल का गठन किया जावे। जिसके अधीन ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति परीक्षा संबंधी कार्य संपादित करेगी।

xii. मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा के प्रश्न पत्र बुकलेट की जाँच हेतु परीक्षको की विषयवार की मैपिंग करवाना।

xiii. परीक्षा संबंधित आवश्यक कार्य हेतु शिक्षकों को संस्था प्रधान के माध्यम से कार्य मुक्त करवाना।

9. **ग्रेडिंग स्केल :–**

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2019 (संशोधित 15 सितम्बर, 2020) के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधाान के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार है –

स्केल	81-100	61-80	41-60	33-40	0-32
ग्रेड	A	B	C	D	E

- ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जायेगी एवं पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जावेगा।
- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा.–माध्य/ गुण व प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2023–24 दिनांक 05.08.2023 एवं 06.10. 2023 की अनुपालना में कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2024 में दक्षता आधारित प्रश्न समाहित रहेंगे।
- 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं।

10. संत्राक निर्धारण :–

i. **CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :–** CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक SA-1, SA-2, अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण, अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों आदि के लिए निम्नांकित **प्रपत्र–2 अ** के अनुसार निर्धारित होंगे।
उपस्थिति के अंक निम्नानुसार निर्धारित होंगे :–
65 से 75 प्रतिशत उपस्थिति –3 अंक
76 से 85 प्रतिशत उपस्थिति –4 अंक
86 से 100 प्रतिशत उपस्थिति–5 अंक

RajKaj Ref
5279679

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.01.09 18:47:23 IST
Reason: Approved

WWW.RAJGURUJI.COM

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 अ

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय ....)

क्र. सं.	आकलन क्षेत्र	शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रकिया				प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि		व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां			विषय				
	अधिगम क्षेत्र	[illegible]	[illegible]	चैक लिस्ट अंकन	अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां	नियमितता एवं समबद्धता	वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां	स्वास्थ्य एवं शिक्षा, स्वच्छता	नो बेग डे गतिविधियां	सर्वयोग	कक्षा कक्षीय प्रकिया के सत्रांक (सर्वयोग का 15 प्रतिशत)	उपस्थिति	योग सत्रांक	विशेष विवरण
	अंक	10	10	10	20	10	10	10	10	10	100	15	5	20	
	नाम छात्र / छात्रा														

ii. **राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम" के अन्तर्गत आकलन कराने वाले विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :–** कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/ गुण व प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2023–24 दिनांक 05.08.2023 एवं 06/10/2023 की अनुपालना में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अन्तर्गत ऐसे विद्यालय जहा RKSMBK के अन्तर्गत आकलन लिया जा रहा है। **सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 ब के अनुसार रहेगा।**

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 ब

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय ....)

क्र. सं.	नाम छात्रा/ छात्र	RKSMBK - 1 (3 Subject) अंक	RKSMBK – 2/ अर्द्धवार्षिक परीक्षा (3 Subject) अंक	प्रथम परख	द्वितीय परख	सर्व योग	कक्षा कक्षीय प्रकिया के सत्रांक	उपस्थिति	योग सत्रांक
		15	15+50	10	10	100	15	5	20
1									

नोट :– हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों का सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2–स के अनुसार होगा।

iii. **अन्य विद्यालयों मे सत्रांक निर्धारण :–** प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंकभार 100 अंकों का होगा, जिसमें 20 अंक सत्रांक हेतु एवं 80 अंक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित है। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक प्रथम परख, द्वितीय परख अर्द्धवार्षिक परीक्षा, नो बैग डे गतिविधियों के लिए निर्धारित प्रपत्र–2 स के अनुसार सत्रांक निर्धारित होंगे।

RajKaj Ref
5279679

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.01.09 18:47:23 IST
Reason: Approved

WWW.RAJGURUJI.COM

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 स

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय ....)

क्र. सं.	नाम छात्रा / छात्र	प्रथम परख	द्वितीय परख	अर्द्धवार्षिक परीक्षा अंक	नो बैग डे गतिविधियां	सर्व योग	कक्षा कक्षीय प्रकिया के सत्रांक	उपस्थिति	योग सत्रांक
		10	10	70	10	100	15	5	20
1									

11. सामान्य दिशा–निर्देश :–

- इस परीक्षा का नाम प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2024 (Elementary Education Completion Certificate Examination, 2024) होगा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों व राजस्थान राज पत्र में अधिप्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15 सितम्बर 2020 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन सम्पादित होगी।
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इन समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों का यह दायित्व होगा कि वे इस परीक्षा हेतु अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाएँ। कक्षा आठ के लिए यह दक्षता आधारित वार्षिक परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- दृष्टिहीन एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए इस दक्षता आधारित इस वार्षिक परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा, ऐसे परीक्षार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं (CWSN) को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधा/शिथिलता उपलब्ध करवाने हेतु जारी प्रपत्र 33 अनुसार लाभ दिया जायेगा।
- राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त उर्दू/सिन्धी माध्यम के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। इस हेतु ऐसे विद्यार्थियों के लिए भाषा विषय के प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त शेष विषय (सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित) के प्रश्न पत्र सम्बन्धित माध्यम में प्रदान किये जायेंगे।
- **उपस्थिति एवं उसकी गणना** :– कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेने की तिथि से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा की तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति का होना अनिवार्य है। संस्था प्रधानों द्वारा विद्यार्थियों की रूग्णता अथवा अन्य युक्तियुक्त कारणों के आधार पर विवेकानुसार उपस्थिति में दस प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी।
- परीक्षा हेतु विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- मूल 6 विषयों का दक्षता आधारित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गये शैक्षिक कार्यों तथा गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइन्ट स्केल पर आधारित ग्रेड दी जाएगी।
- **सानुग्रह अंक** – चूंकि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) के तहत वर्तमान में कक्षा की परीक्षा में वर्तमान सत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जायेगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक के 5 प्रतिशत और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2–2 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे। सानुग्रह अंक का प्रावधान केवल मुख्य परीक्षा में ही होगा।

RajKaj Ref
5279679
Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.01.09 18:47:23 IST
Reason: Approved

WWW.RAJGURUJI.COM

- पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है। केवल डाइट स्तर पर पुनर्गणना की जा सकेगी। शाला दर्पण पोर्टल पर पुनर्गणना हेतु आवेदन किया जा सकेगा. जिसके लिए डाइट द्वारा रू. 100/— प्रति विषय की दर से पुनर्गणना शुल्क लिया जाएगा। समस्त डाइटमें पुनर्गणना सम्बन्धी व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाये :—

1. **पुनर्गणना आवेदन की अंतिम तिथि** :— परीक्षा परिणाम घोषणा से 09 दिवस के भीतर।
2. डाइट द्वारा संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों के माध्यम से पुनर्गणना कार्य सम्पादन हेतु समयावधि :— आवेदन की अन्तिम तिथि से 10 दिवस के भीतर।
3. पुनर्गणना पश्चात् ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में संशोधित ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र वितरण :— पुनर्गणना कार्यवाही सम्पादन की अन्तिम तिथि से 07 दिवस के भीतर।

- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत विद्यार्थी को विद्यालय में नियमित शिक्षण कराना है, अतः इस परीक्षा में स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती) विषयों के प्रश्न पत्र होंगे।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2024 के सफल आयोजन हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जाना है।

परीक्षा संचालन समिति (33 जिला व्यवस्थानुसार)

क्र.स	पदनाम	समिति मे दायित्व
1.	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, सम्बंधित संभाग	मुख्य पर्यवेक्षक
2.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,सम्बंधित जिला	जिला पर्यवेक्षक
3.	प्रधानाचार्य, डाइट, सम्बंधित जिला	अध्यक्ष
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा,सम्बंधित जिला	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, सम्बंधित जिला	सदस्य
6.	सहायक लेखाधिकारी (संयुक्त निदेशक सम्बंधित संभाग द्वारा मनोनीत)	सदस्य
7.	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रभारी अधिकारी, सम्बंधित डाइट	सदस्य सचिव
8.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित जिला	सदस्य

- नवीन जिला व्यवस्था में ऐसे नवीन 17 जिले जो पूर्व जिले से अलग/विभक्त होकर बने हैं, उसके लिए पूर्व (मूल जिला) जिले के प्राचार्य डाईट द्वारा उक्त परीक्षा संबंधी समस्त कार्य हेतु डाईट में पदस्थापित वरिष्ठ व्याख्याता को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा। वरिष्ठ व्याख्याता नवीन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (मुख्यालय) से समन्वय स्थापित कर परीक्षा के सफल संचालन हेतु कार्य करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (मुख्यालय) नवीन जिला आवश्यकतानुसार परीक्षा संबंधी आवश्यक आदेश जारी करने हेतु अधिकृत होंगे। नवीन जिलों हेतु जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति निम्नानुसार रहेगी—

17 नवीन जिलों हेतु परीक्षा संचालन समिति

क्र.स	पदनाम	समिति मे दायित्व
1.	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, सम्बंधित संभाग	मुख्य पर्यवेक्षक
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक	जिला पर्यवेक्षक
3.	प्रधानाचार्य, डाइट, मूल जिला	अध्यक्ष
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, सम्बंधित जिला	सदस्य
5.	वरिष्ठ व्याख्याता डाईट एवं प्राधिकृत अधिकारी, (मूल जिला डाईट)	सदस्य सचिव
6.	सहायक लेखाधिकारी (संयुक्त निदेशक सम्बंधित संभाग द्वारा मनोनीत)	सदस्य
7.	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रभारी अधिकारी, मूल जिला डाइट	सदस्य
8.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मूल जिला	सदस्य

- <u>**उक्त नवीन जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति परीक्षा संबंधित प्राप्त परिवेदना को मूल जिला समिति को आवश्यकतानुसार अग्रेषित कर सकेगी।**</u>

RajKaj Ref
5279679

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.01.09 18:47:23 IST
Reason: Approved

WWW.RAJGURUJI.COM

- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की देखरेख में समस्त कार्य सम्पादित किए जायेंगे।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2024 (कक्षा–8) की समस्त व्यवस्थाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 'ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति'का गठन किया जावे।
- इस समिति की बैठक सत्र में प्रत्येक डाइट स्तर पर बैठक होने के तत्काल पश्चात् की जानी है। (बैठकों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढाया जा सकता है।)

ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति

क्र.स	पदनाम	समिति मे दायित्व
1.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	अति, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय)	सदस्य सचिव
3.	ब्लॉक मुख्यालय के राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य /प्रधानाध्यापक (CBEO द्वारा चयनित–1)	सदस्य
4.	संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र के संस्था प्रधान	सदस्य
5.	ब्लॉक क्षेत्र के संस्था प्रधान, रा.उ.प्रा.वि. (जि.शि.अ.मु.प्रा.शि. द्वारा मनोनित–2)	सदस्य
6.	लेखाकार–1	सदस्य

- प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) अपनी टीम के साथ परीक्षा के प्रत्येक चरण के नियमबद्ध, समयबद्ध, सुव्यवस्थित व सुचारू संचालन के लिए अधिकृत तथा उत्तरदायी अधिकारी होंगे।
- जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों के पैकेट की प्राप्ति व जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य डाइट द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
- कला शिक्षा कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तीनों विषयों की विद्यालय स्तर पर सम्पादित गतिविधियों का मूल्यांकन कर शाला दर्पण / पी. एस.पी पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन द्वारा इनके मूल्यांकन प्रपत्रों की नियमानुसार प्रविष्टि की जावेगी।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के आयोजन में हर कदम पर विशेष सावधानी आवश्यक है। अतः निम्नानुसार सतर्कता बरती जाये :–
    1. प्रश्न पत्र बुकलेट प्राथमिकता अनुसार सर्वप्रथम थाने में यदि थाना परीक्षा केन्द्र के नजदीक ना हो तो नजदीक की पुलिस चौकी में और यदि पुलिस चौकी भी नजदीक न हो तो पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त के साथ विद्यालय में रखवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में प्रश्न पत्र रखने की स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा राउण्ड द क्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाऐगी। केन्द्राधीक्षक अनिवार्य रूप से हर समय मुख्यालय पर मौजूद रहेंगें।
    2. प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन, अंक मिलान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में पूर्ण गोपनीयता बरती जावे।
    3. प्रश्न पत्र बुकलेट का मूल्यांकन अनुभवी, जिम्मेदार एवं योग्य शिक्षकों से ही करवाया जाये। मूल्यांकन स्थल पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र बुकलेट के बण्डल मूल्यांकन केन्द्र से बाहर नहीं ले जाने दिये जायें।
- समस्त प्रधानाचार्य, डाइट अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रा० एवं मा० (मुख्यालय), से समन्वय स्थापित कर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विषयवार परीक्षकों का शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन पैनल तैयार करेंगे। पैनल के विषय अध्यापकों से ही सम्बन्धित विषय की प्रश्न पत्र बुकलेट का मूल्यांकन करवाया जावे।
- प्रधानाचार्य, डाइट विषयवार परीक्षकों का पैनल सम्बन्धित मूल्यांकन केन्द्र को देवें। इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना को गम्भीरता से लिया जाये। उक्त अवहेलना की स्थिति में सक्षम स्तर पर तत्काल अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाया जायेगा।

RajKaj Ref 5279679
Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.01.09 [illegible]:47:23 IST
Reason: Approved

WWW.RAJGURUJI.COM

- परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् प्रश्न पत्र बुकलेट सुरक्षित रूप से निर्धारित संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाई जायें।
- प्रधानाचार्य डाइट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रा० एवं मा० (मुख्यालय). जिले को क्षेत्रवार वर्गीकृत कर परीक्षा के पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन का उत्तरदायित्व वहन करेंगे। संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा प्रतिदिन सांयकाल अपने संभाग की परीक्षा सूचना कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर के नियन्त्रक को देंगे।
- जिला अन्तर्गत एक ब्लॉक की प्रश्न पत्र बुकलेट का मूल्यांकन दूसरे ब्लॉक के मूल्यांकन केन्द्र से करवाया जाये। उक्तानुसार गोपनीयता के लिए पूर्ण सावधानी बरती जाये।
- प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन कार्य हेतु निकटतम स्थानों पर कार्यरत परीक्षकों को ही लगाया जाकर उनसे निर्धारित अवधि में मूल्यांकन कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाया जाये।
- मूल्यांकन पश्चात सभी मूल्यांकन केन्द्रों से एकत्रित प्रश्न पत्र बुकलेट डाइट में संकलित कर आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखी जायेंगी। विवादित प्रश्न पत्र बुकलेट को सुरक्षित रखा जाए। विवादित प्रश्न पत्र बुकलेट की नीलामी नहीं की जायेगी।
- भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रश्न–पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होंगे। प्रश्न पत्र बुकलेट के रूप में होगें। जिसमें दिए गए स्थान पर परीक्षार्थियों को उत्तर लिखना होगा।
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र (कक्षा–8), 2024 परीक्षा / पूरक परीक्षा प्रश्न पत्र बुकलेट जांच कार्य करने वाले परीक्षक को 5 रू/कॉपी राशि देना प्रस्तावित है। जिसका बजट आंवटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्य मद के उपमद 42 द्वारा होगा। जिसके लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन आवश्यक रहेगा।
- संचालन हेतु जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन/संग्रहण वितरण केन्द्रों को स्टेशनरी एवं अन्य खर्च हेतु 2000/–(अक्षरे रुपया दो हज़ार मात्र) प्रति केन्द्र को एकमुश्त राशि देना प्रस्तावित है। जिसका बजट आंवटन प्रारंभिक प्रारंमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र (कक्षा–8), 2024 परीक्षा, शिक्षा के उपमद 42 द्वारा होगा जिसके लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।
- मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन केन्द्र से अधिकतम 15 कि.मी. की परिधि से ही शिक्षकों को वीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।
- अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक की नियुक्ति की जायेगी, यथासम्भव उन राजकीय विद्य ालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जावे, जहाँ पहले से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्र निर्धारित हैं।
- प्रारंमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र (कक्षा–8), 2024 हेतु जो **राजकीय विद्यालय** संग्रहण केन्द्र होगा, उसी को मूल्यांकन केन्द्र भी माना जायेगा।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण विद्यार्थियों की संख्या एवं केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जावे। यहाँ यह ध्यान रहे कि किसी भी केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 1000 से कम ना हो।
- परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य राज्य सरकार से अनुमोदित एवं निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी पंचांग (कैलेण्डर के अनुसार सम्पादित किये जायेंगे।
- परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयु सीमा संबंधित प्रावधान :–

  एक मार्च, 2024 को आवेदक की अधिकतम आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं हो। विशेष परिस्थितियों में आयु सीमा में शिथिलन के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान की अध्य क्षता में पांच वरिष्ठ अधिकारियों की समिति विभाग स्तर पर निर्णय ले सकेगी।
- प्रश्न पत्र पूर्णाक 80 अंक का तथा समय 2.30 घण्टे होगा।
- **उपर्युक्तानुसार जारी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जावेगी। परीक्षा कार्य पंचांग, परीक्षा कार्यक्रम (टाईम टेबल) एवं जारी दिशा निर्देशों के किसी बिन्दु के सम्बन्ध में सार्वजनिक हित में आंशिक परिवर्तन, संशोधन एवं शिथिलन के लिए चाहे विभागाध्यक्ष निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर अधिकृत होंगे तथा ऐसे निर्णय परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों के हिस्से माने जायेंगे।**

RajKaj Ref
5279679

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.01.09 18:47:23 IST
Reason: Approved

WWW.RAJGURUJI.COM

GOVT EXAM TAK

"GOVTEXAMTAK.COM" एजुकेशन न्यूज़ की ख़बरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए इस लिंक पर Click कीजिए

All Education Update's 1st

Job | Exam Date | Syllabus | Admit Card | Answer Key | Result | Scheme

Telegram

https://t.me/GovtexamtakOfficial